ग्राम पंचायत लदोड़ी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लदौड़ी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.15 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/ सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः-

क्रंम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमति विजय पठानिया	01/04/2015 से 22/01/2016
2..	श्री सुरिंदर सिंह	23/01/2016 से 31/03/2018

सचिव :-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री गुरवीर सिंह	01/04/2015 से 30/09/2016
2.	श्री देवेंदर कुमार	01/10/2016 से 31/03/2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत लदौड़ी, जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	1.47

2	7	पंचायत राजस्व की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	0.19
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	4.30
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	2.02

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत लदौड़ी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28-05-18 से 31-05-18 तक ग्राम पंचायत लदौड़ी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमश: 03/2016,06/2016, 12/2017 व 04/2015, 02/2017, 02/2018 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत लदौड़ी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-139 दिनांक-31-05-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत लदोड़ी से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत लदोड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1 व 2** में दिया गया हैः–:-

(i) स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	239659	43432	283091	192434	90657

2016-17	90657	189152	279809	154019	125790
2017-18	125790	250786	376576	223920	152656

(ii) अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	45395	1594119	1639514	1246747	392767
2016-17	392767	2720497	3113264	2374267	738997
2017-18	738997	2834720	3573717	3143807	429910

कुल योग (i)+(ii) = 582566

दिनांक 31.03.2018 को बैंक में जमा व हस्तगत **राशि का विवरण :-**

क्रमं संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1.	Sabha Nidhi/Others	20003062034	K.C.C.B.NURPUR	41633
2.	I.A.Y./RAY	50051993642	K.C.C.B.NURPUR	392888
3.	13TH/14TH FC	50051993620	K.C.C.B.NURPUR	67
	हस्तगत शेष			455
	कुल योग			**435043**

दिनांक 31.3.2018 को वित्तीय स्थिति व बैंक खातों में अन्तर =**582566-435043 = 147523**

5 **रोकड़ बहियों/वित्तीय स्थिति व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.47 लाख का भारी अन्तरः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत लदौड़ी द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनाक 31-03-18 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹**147523**/- का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में है।

अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए उक्त अन्तर की राशि का शीघ्र मिलान किया जाए व भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 वित्तीय नियमों कि अनुपालना न करना :-

(i) लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों को मासान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त, वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत लदौड़ी में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

(ii) अंकेक्षण अवधि 04/15 से 03/18 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए विकास कार्यों के भुगतान हेतु चयनित माह में प्रस्तुत बिलों/मस्ट्रोलों के साथ F.T.O./Wages list की प्रति नहीं पाई गई और न ही माप पुस्तिका की प्रविष्टि इत्यादि से सम्बंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये, जिसके कारण भुगतान की गई राशि की पुष्टि नहीं हो सकी I अत: उपरोक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.19 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-18 तक पंचायत राजस्व ₹19420 की वसूली शेष थी:-

(i) गृहकर

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या Gen/BPL	दर प्रति /परिवार Gen/BPL	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1.	2015-16	शुन्य	325+62 =387	30,30,30,50/30	16250+1860 =18110	18110	18110	शून्य
2.	2016-17	शुन्य	340+62 =402	50/30	17000+1860 =18860	18860	18860	शून्य
3.	2017-18	शून्य	356+62 =418	50/30	17800+1860 =19660	19660	9640	10020

(ii) मोबाइल टावरः-

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	टावर संख्या	दर प्रति /वर्ष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	2015-16	शून्य	02	2000/टावर	4000	4000	2000	2000
2	2016-17	2000	02	2500/टावर	5000	7000	2500	4500
3	2017-18	4500	02	2500/टावर	5000	9500	2500	7000

(iii) किराये पर दी गई पंचायत की दुकानें

वर्ष	अथशेष	दुकानों की संख्या	दर प्रति /वर्ष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2015-16	शुन्य	02	1200/दुकान	2400	2400	2400	शुन्य
2016-17	शुन्य	02	1200/दुकान	2400	2400	2400	शुन्य
2017-18	शुन्य	02	1200/दुकान	2400	2400	शुन्य	2400

अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशियों की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इनकी शीघ्र **वसूली सुनिश्चित** करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹4.30 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹429910 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का

अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान ब्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.02 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के ब्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹202476 का स्टॉक औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार निम्न अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

2 जल प्रभार रजिस्टर

3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर

4 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

6 डाक टिकट रजिस्टर

7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि

8 विवाह पंजीकरण रजिस्टर

9 वर्गीकृत सार

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है, जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमिततायेः-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) निर्माण कार्यो के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत बैठक फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने से सबंधित अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया था। अत: नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधर लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 **लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्तियों का** अंकेक्षण के दौरान **ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।**

15 **निष्कर्ष:- लेखों में बहुत सुधार** की **आवश्यकता है ।**

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)212/2018 खण्ड–1–6284–6287 दिनांक–24.09.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत लदौड़ी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881